सरकार ही तय करे गन्ने की कीमतें

भारत तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती और चीनी उद्योग ग्रामीण संसाधन जुटाने, उच्च आय अर्जित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में अग्रणी है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण आबादी का लगभग 7.5 प्रतिशत जोकि लगभग 45 लाख गन्ना किसानों, उनके आश्रितों और एक बड़ी संख्या में कृषि मजदूरों को दर्शाता है जो गन्ने की खेती और सहायक गतिविधियों में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन का संकेंद्रण ऊपरी गंगा–यमुना दोआब, रोहिलखंड और ऊपरी–सरयू के तटीय क्षेत्र हैं। यहां प्रदेश का 70 फीसदी गन्ने का उत्पादन होता है। मुख्यतः प्रदेश के 30 जिलों में गन्ने का उत्पादन अच्छा है।

प्रदेश में गन्ने की कीमत को लेकर किसानों और मिलों के बीच मतभेद लगातार बना रहता है। वर्ष 2014 में प्रदेश को गन्ने की कीमत को लेकर किसान आंदोलन का सामना करना पड़ा है। जबकि, प्रदेश में मिलें ₹2,400 प्रति टन से अधिक भुगतान करने के लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने यह भी धमकी दी थी कि अगर सरकार व्दारा उच्च कीमत का भुगतान करने के लिए उन पर कोई दबाव डाला तो मिलों को बंद कर देगें। हालांकि विपणन वर्ष 2013–14 के लिए प्रदेश में किसानों द्वारा ₹2,800 प्रति टन गन्ने का खरीद मूल्य की मांग की थी।

वी.बी. जुगाले ने अपनी पुस्तक **'गन्ना मूल्य निर्धारण'** नीति, प्रक्रिया और संचालन' में दर्शाया है कि मौसम के बाद या पहले चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने की उपलब्धता के लिए एक सर्वेक्षण कराया जाता है। यदि वे पाते हैं कि गन्ने की फसल कमजोर है तो वे देर से गन्ने की पिराई का काम शुरू करते हैं और जल्दी बंद कर देते हैं। और गन्ने की अतिरिक्त आपूर्ति के मामले में गन्ने की पिराई का काम जल्दी शुरू कर जल्दी बंद कर देते हैं। जिससे किसान अपनी फसल का उपयुक्त मूल्य नहीं पाते हैं। परन्तु चीनी उत्पादन का निर्धारित समय अक्टूबर के महीने में पेराई शुरू कर और मई के अंत तक समाप्त हो जाती है। अतः अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान चीनी उत्पादन 7 प्रतिशत या कम रहता है और मई के महीने में यह 8–9 प्रतिशत के बीच रहता है गन्ना उत्पादन के चरम समय के दौरान चीनी उत्पादन अधिक से अधिक 14 प्रतिशत तक जा सकता है। हालांकि सामान्य मामलों में चीनी उत्पादन 12–13 प्रतिशत के बीच रहता है।

आयोग द्वारा वर्ष 2014–15 में गन्ने के मौसम के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 9.5 प्रतिशत वसूली दर के साथ ₹220 प्रति क्विंटल की सिफारिश की। वसूली में 0.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने पर एफ आर पी में रुपये 2.32 प्रति क्विंटल की वृद्धि होगी। वर्ष 2015–16 के पेराई सत्र के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार गन्ने के एफआरपी में मामूली 4.54 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गयी जोकि इस साल के अक्टूबर से शुरू होगी। इस निर्णय से किसान और मिल मालिक दोनों असंतुष्ट हैं। यहां गन्ने की तथा कथित **'उचित मूल्य'** का निर्धारण करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई पद्धति पर सवाल उठाया गया है। एफआरपी उस समय लाया गया जब चीनी मिलों,

किसानों और राज्य सरकार के बीच गन्ना मूल्य निर्धारण को लेकर संघर्ष जारी है। विशेष रूप से उस समय जब प्रदेश में चीनी की कीमतों में गिरावट जारी है। गन्ना किसानों को शिकायत है कि आने वाले सीजन के लिए एफआरपी में इस तरह की एक छोटी सी वृद्धि उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस मूल्य से उत्पादन लागत कहीं अधिक है। जबकि मिल मालिकों का कहना है कि यह वृद्धि अपने आप में बहुत अधिक है।वर्ष 2014–15 में गन्ने के उत्पादन की औसत लागत करीब ₹251 प्रति क्विंटल थी जो कि वर्ष 2015–16 में ₹280 प्रति क्विंटल के आसपास होने की उम्मीद है। इसलिए एफआरपी इस मूल्य से नीचे है, जो कि उत्पादन लागत की गणना करने की प्रक्रिया पर एक बड़ा सवालिया निशान उठाता है।

मिलों द्वारा निश्चित रूप से भुगतान किया जा सकता है। लेकिन मिलों द्वारा एक उत्पादक संघ का गठन किया गया। इसका कार्य राज्य सरकार पर किसानों के लिए कम कीमत का भुगतान करने के लिए दबाव बनाना है। यह गन्ना किसानों और साथ ही मिलों की दीर्घकालिक उन्नति के लिए आत्मघाती है और यदि गन्ने की कीमतों का निर्धारण मिलों के नेतृत्व में किया जाए तो किसानों का शोषण और उनकी आय में कमी के नतीजे ही सामने आयेगें। अतः सरकार ही किसानों के लिए गन्ना की कीमतें तय करना जारी रखे जो किसानों के हित में हो।

केंद्र सरकार ने गन्ना उद्योग के लिए वर्ष 2014 में ₹4400 करोड़ के पैकेज का ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी दी थी। इस तरह का और एक पैकेज, इस वर्ष 2015 में चीनी मिलों के लिए ₹6,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण गन्ना उद्योग को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए दिया गया है। यह ब्याज मुक्त ऋण उन मिलों को मंजूर किया जाएगा जिन्होनें जून के अंत तक गन्ना बकाया राशि का 50 प्रतिशत भुगतान कर दिया। अक्टूबर 2014 से सितंबर 2015 में देश में चीनी मिलों का बकाया ₹21,000 करोड़ है जोकि उत्तर प्रदेश में ₹9,000 करोड़ है। वर्तमान वर्ष में यह बकाया ₹11,000 करोड़ देश में और ₹7,200 करोड़ उत्तर प्रदेश में हैं। सरकार द्वारा गन्ना उद्योग को आर्थिक मदद जारी रखने के बावजूद किसानों के प्रति मिल मालिकों का दोगला व्यवहार समझ से परे है। जबकि होना यह चाहिये कि किसानों का बकाया प्रति वर्ष चुका दिया जाए।

सरकार द्वारा अनुमोदित ऋण के माध्यम से गन्ना उद्योग की समस्याओं का समाधान होने की संभावना कम है। एक साल के समय के भीतर ₹6,000 करोड़ की राशि का भुगतान करने के लिए इतनी ही राशि के लाभ की आवश्यकता होगी जो कि 10 लाख टन उत्पादन और ₹10 प्रति किलो के आसपास चीनी की कीमत जो उत्पादन लागत से नीचे है के माध्यम से असंम्भव है।

वर्ष 2014–15 में देश में 1.5 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया जबकि 1 लाख टन चीनी का आयात किया गया। यह स्थिति सरकार द्वारा तय उच्च गन्ना खरीद कीमत पर मिलों को गन्ना खरीदने के कारण उत्पन्न हुई। अकुशल उत्पादन के कारण वर्तमान गन्ना खरीद कीमत किसानों के लिए लागत मूल्य से नीचे अभी भी है परन्तु विश्व बाजार की कीमतों से अधिक है। साथ ही साथ सरकार ने चीनी कोटा की उगाही से ₹2,700 करोड़ की राशि का लोप कर चीनी मिलों को लाभान्वित

किया और इस बोझ को सरकार ने अपने आप पर ले लिया। अतः चीनी मिलों को ₹2,700 करोड़ का अतिरिक्त इनाम मिला। इसको देखते हुए चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के लिए एक बेहतर कीमत अदा करने में असमर्थता दिखाना गलत है।

प्रश्न यह है कि क्या किसानों द्वारा उनकी उपज के लिए उच्च कीमत की मांग उचित है या नहीं।

हाँ, किसानों द्वारा उनकी उपज के लिए उच्च कीमत की मांग उचित है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते हर छह महीने में मुद्रास्फीति से जोड़कर दिया जा सकता है और कुछ वर्षों में एक और वेतन आयोग का लाभ मिलता है तो किसानों को भी उनकी फसलों के लिए मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ आर्थिक मूल्य दिया जाना चाहिये।

अकेले किसान ही क्यों उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी उपलब्ध कराने के बोझ से दबे रहें।

अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रत्येक चीनी कारखानों को अपने वित्तीय खातों और अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शी होना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर के उपज की न्यूनतम कीमत तय करनी चाहिए जो गन्ना किसानों और चीनी कारखानों के हित में हो।

डॉ. राम कुमार झा
नीति विश्लेषक
कट्स इंटरनेशनल (उपभोक्ता एकता एवं ट्रस्ट सोसायटी)
डी–217, भास्कर मार्ग, बानी पार्क, जयपुर–302016
फोन न. +91-9461234279
ईमेल–rkj@cuts.org

Web link: http://issuu.com/krishijagran/docs/krishi_jagran_hindi_magazine-july-2